राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प.4(2)कार्मिक / क–4 / 2009 जयपुर, दिनांक 26-06-2015

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2009–10 से 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध निम्नांकित अधिकारियों को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2009–10

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2009–10 की रिक्तियों में श्री सुनील शर्मा को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्रीमती मनीषा अरोडा के नीचे प्रतिस्थापित किया जाता है। वर्ष 2009–10 की चयन सूची से श्री अशोक कुमार (सील्ड कवर) का नाम विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2010–11

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2010–11 की रिक्तियों में श्री जगजीत सिंह मोगा को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्रीमती प्रियंका गोस्वामी के नीचे प्रतिस्थापित किया जाता है। वर्ष 2010–11 की चयन सूची से श्री सुनील शर्मा का नाम विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2011–12

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2011–12 की रिक्तियों में श्री बिजेन्द्र पाल तोमर को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री हरिशंकर गोयल के नीचे जोडा जाता है। वर्ष 2011–12 की चयन सूची से श्री जगजीत सिंह मोगा का नाम विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2012–13

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2012–13 की रिक्तियों में श्री हरफूल सिंह यादव को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री जसवंत सिंह के नीचे जोडा जाता है। वर्ष 2012–13 की चयन सूची से श्री बिजेन्द्र पाल तोमर का नाम विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2013–14

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2013–14 की रिक्तियों में श्री श्रीकृष्ण शर्मा के प्रकरण में विचार किया गया। इनका संबंधित वर्षों का सेवा रिकॉर्ड अपूर्ण होने के कारण इनका प्रकरण डेफर करते हुए इनके लिए एक पद रिक्त रखा

गया। वर्ष 2013–14 की चयन सूची से श्री हरफूल सिंह यादव का नाम विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प.4(4)कार्मिक / क–4 / 2014 जयपुर, दिनांक २६-०६-२०१५

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री ओम प्रकाश फुलवारिया (अजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014–15 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014–15 की चयन सूची में श्री फुलवारिया का नाम श्री करतार सिंह पूनिया के नीचे एवं श्री बृज मोहन बैरवा के नीचे जोडा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प.4(4)कार्मिक / क–4 / 2014 जयपुर, दिनांक २६-०६-२०१५

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

वर्ष – 2014–15

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	विशेष विवरण
1.	राकेश कुमार गुप्ता	श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव के नीचे एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी के ऊपर
2.	भागीरथ सिंह मीणा (अजजा)	श्री मेघराज सिंह मीणा के नीचे एवं श्री रामकिशन मीणा के ऊपर

श्री हर्षवर्द्धन सिंह राठौड के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है।

निम्नांकित अधिकारियों के संबंधित वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण यथावत डेफर किये जाते है।

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम (सर्व श्री)**	**वर्ष**
1.	श्याम लोट (अजा)	2011–12
2.	नर सिंह (अजा)	2012–13
3.	छगनलाल बेनीवाल (अजा)	2014–15

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।

7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प.4(2)कार्मिक / क–4 / 2006 जयपुर, दिनांक 26-06-2015

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2006–07 की रिक्तियों में श्री महावीर सिंह–। को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री भरत कुमार शर्मा के नीचे एवं श्री कैलाश चन्द लखारा के ऊपर जोडा जाता है। वर्ष 2006–07 की चयन सूची से श्री राजीव आचार्य (सील्ड कवर) का नाम विलोपित किया जाता है।

कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2007–08 की रिक्तियों में श्री राजीव आचार्य के विरूद्ध विभागीय जाँच / आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी जाती है।

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2012–13 में अनुवर्ती प्रभाव

अनुवर्ती परिवर्तन के परिणामस्वरूप श्री महावीर सिंह को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2012–13 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री भरत कुमार शर्मा के नीचे एवं श्री कैलाश चन्द लखारा के ऊपर जोडा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव